राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या– 2432/2016 .... जिला ....अजमेर..

उनवान : श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री गुरूदयाल सिंह जाति जट सिख निवासी धनोयला रोड़, संगसर हाल–बरनाला तहसील व जिला बरनाला, पंजाब जरिये मुख्यारआम श्रीमती अमनदीप कौर पत्नी श्री गुरूप्रीत सिंह जाति जट सिख निवासी ढिल्लो पत्ती, ठिकरीवाल जिला बरनाला (पंजाब)

बनाम

1. जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर–ग्रामीण 2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>खण्डपीठ</u>

<u>श्री के. एल. जैन, सदस्य</u>

<u>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</u>

11/05/2017

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त आबकारी, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प0 29(बी)(23)पी.एस./वाहन/आब/2015/897 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9ए(3) के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। आबकारी आयुक्त ने उक्त आदेश से अपीलार्थी के जब्त वाहन ट्रक नंबर पी.बी. 13/ए.बी.–9075 को अधिहरण से मुक्ति की एवज में रूपये 15,00,000/– जुर्माना राशि का निर्धारण किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री भगवान सिंह एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री आर. के. अजमेरा की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ आबकारी अधिनियम की धारा 9(ए) के तहत कुल मांग राशि की 75 प्रतिशत राशि जमा का सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाये जाने की विधिक अनिवार्यता नहीं होना बताते हुए कथन किया कि यह रिवीजन आबकारी आयुक्त के आदेश के विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक का कथन विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **सवाईमाधोपुर ऑयल व पल्सेज इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 3 डब्ल्यू.एल.सी. राज. 419 एवं परमजीत बनाम राज्य एस.बी.सिविल रिवीजन नं0 1810/2008** में यह निर्णीत किया जा चुका है कि धारा 9ए(4) के अनुसार निगरानी के पूर्व देय राशि का 75 प्रतिशत भाग जमा कराया जाना अनिवार्य है। अतः आबकारी अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना के अभाव में यह अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली दफ्तर दाखिल हो।

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर